

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक : एस्टे/एम/एफ 10 (वरि.)/आरएमएस(टी)/डीएलबी/17/ 6800

दिनांक : 18/05/17

अन्तरिम अन्तः वरिष्ठता सूची

राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम, 1963 के नियम 28 के अन्तर्गत राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा के स्थायी रूप से कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) डिग्री/डिप्लोमा पद की दिनांक 01.04.2016 व 01.04.2017 (वर्ष 2016 व 2017) की स्थिति में, अन्तरिम (Provisional) अन्तः वरिष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जाकर संबंधित से आपत्तियां आमन्त्रित की जाती हैं :-

कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) डिग्रीधारी

क्र.सं.	नाम कनिष्ठ अभियन्ता	जन्मतिथि	नियुक्ति /समायोजन तिथि	स्थायीकरण तिथि	तकनीकी योग्यता	वर्ग
01-	श्री जितेन्द्र चौधरी	29-03-1986	18-09-2013	18-09-2013	डिग्रीधारी	अ0पि0व0
02-	श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा	01-10-1981	01-10-2013	01-10-2015	डिग्रीधारी	सामान्य
03-	श्रीमती विमला प्रजापति	28-06-1985	23-10-2013	23-10-2015	डिग्रीधारी	सामान्य
04-	श्री दिलीप सिंह	15-08-1985	23-10-2013	23-10-2015	डिग्रीधारी	अ0पि0व0

नोट : वर्तमान में कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) डिप्लोमा संवर्ग में एक ही कनिष्ठ अभियन्ता श्रीमती किरण कंवर कार्यरत है जिनके पैतृक नगर निकाय - नगर निगम, जयपुर द्वारा स्थायीकरण नहीं किया जाने के कारण उक्त सूची में नाम अंकित नहीं किया जा सका है। अतः नगर निगम, जयपुर को उक्त कनिष्ठ अभियन्ता के स्थायीकरण की कार्यवाही तीन दिवस में सम्पादित करवाकर, स्थायीकरण आदेश की प्रति तत्काल भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

इस संबंध में यदि किसी कनिष्ठ अभियन्ता को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस सूची के जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में सप्रमाण व आवश्यक दस्तावेजों सहित निम्न हस्ताक्षरकर्ता को भिजवावे। इस अवधि पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक : एस्टे/एम/एफ.10 (वरि.)/आरएमएस(टी)/डीएलबी/17/ 6801-6816

दिनांक: 18/05/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन व नग.विकास विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
3. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग,
4. आयुक्त/उपायुक्त कार्मिक नगर निगम, जयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
5. आयुक्त/अधिसाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद्/पालिका
6. श्री कनिष्ठ अभियन्ता विद्युत, नगर निगम/परिषद्/पालिका/ अविप्रा/
7. सुरक्षित पत्रावली।

(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक